क्रमांक 952-ज(I)-79/25647.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री नैयनां राम, पुत्र श्री देवा, गांव बड़कोदा, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्षप्रदान करते हैं।

दिनांक 19 जून, 1979

क्रमांक 820-ज(I)-79/26141.—श्री शेर सिंह, पुत्र श्री राम रतन, गांव अर्थनगर, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 3 अगस्त, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) 1( ) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शेर सिंह को मुल्लिग 150 रुपय वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9348-जी० एन० (III)-65/7720, दिनांक 28 अक्तूबर, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कस्तूरी देवी के नाम रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

एस० के० प्रभाकर,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

37072 CS(H)—Govt. Press, Chd.